तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	22/9/22
	पक्षकारान पेशी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस प्रकरण के निस्तारण से कोई भी पक्षकार प्रभावित नहीं होता है इसलिए इसमें बहस सुनी जाकर पत्रावली निस्तारित की जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी प्रा.पत्र पर सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29.9.22 को पेश हो। [signature] उपखण्[ड अधि]कारी खींवसर (नागौर)
29.9.22	पक्षकारान पेशी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

सेवामें,

राजस्व
प्रार्थीया
प्रेम(प्रेम
खींवस

अप्रार्थ
1 राज0

मान्य

1.
निवा
234
खींव
एवं
2.
रेक
लेक
रहत
मौ
3.
नम
23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)

बइजलास श्री हनुमाना राम, आर.ए.एस

व प्रा.पत्र संख्या :– 37/2018

–

1. श्री प्रेम (प्रेमलता) पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी बैराथल कंला तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

र्थी :–

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान

. वकील प्रार्थी :– श्री बाबूलाल भादू

. वकील अप्रार्थी :– राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अधिन धारा 136 एल.आर.एक्टवास्ते रेकर्ड (राजस्व नक्शा) दुरूस्ती

आदेश

दिनांक 29.09.2022

प्रार्थीया ने अप्रार्थी के विरूद्व राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट वास्ते रेकर्ड स्व नक्शा) दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत हुआ। जिसका सक्षिप्त सार इस प्रकार से है।

यह है कि प्रार्थीया ग्राम बेराथल कलां तहसील खींवसर की मूल निवासी है। प्रार्थीया के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नबंर 234 रकबा 37.05 वाके सरहद मौजा बैराथलकंला तहसील खींवसर में स्थित है, नकल खतौनी व नक्शा ट्रेस किश्तवार असल सीट एवं मोमी सीट साथ पेश है। उक्त भूमि खसरा नबंर 234 रकबा 37.05 बीघा राजस्व रेकर्ड खतौनी में दर्ज है व उसी अनुसार 37.05 बीघा रकबा पर शुरू से लेकर आज दिन लगातार प्रार्थीया का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार रहता चला आया है। जो राजस्व रेकर्ड खतौनी व नक्शा असल सीट व मौके की स्थिति से बखूबी साबित व प्रमाणित है।

प्रार्थीया के उक्त खसरे की खतौनी में उक्त खसरा के नबंर व रकबा बिलकुल सही दर्ज हो रखा है लेकिन उक्त खसरा नबर 234 का राजस्व नक्शा ट्रेस किश्तवार असल सीट से मोमी सीट नक्शा बनाते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से नक्शा में तरमीम गलत ढंग से कर दी गई यानि उक्त खसरा नं. 234 के वास्तविक रकबा 37.05 बीघा से कम रकबे का नक्शा बनाते हुए खसरा नं. 234 की दक्षिणी सींव को आधी दूरी में उतरी तरफ बढाते हुए बाद में पश्चिमी तरफ खसरा नबंर 238 की सीध में गलत ढंग से मिला दिया जबकि असल नक्शा सीट में खसरा नबंर 234 की दक्षिणी सींव पूरी सीधी लम्बाई में चलती हुई खसरा नबंर 242 की पूर्वी माठ तक मिलती हुई साफ नजर आ रही हैं जबकि मौके पर कब्जा काश्त भी इसी अनुसार है व इसी अनुसार खसरा नं. 234 का रकबा भी सही व पुरा होता है तरमीम में कम दर्शाते हुए गलत नक्शा बना दिया, जिसकी दुरूस्ती हेतु उक्त प्रावधान के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश है तथा उक्त दुरूस्ती करवाने का प्रार्थीया को कानूनी अधिकार है व उक्त दुरूस्ती किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है न ही प्रार्थीया अपनी खातेदारी से अधिक रकबा की दुरूस्ती करवा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

यह है कि उपरोक्त अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी के उक्त खसरा न 234 की दक्षिणी माठ को पश्चिमी तरफ मार्क अ से बी तक दुरूस्ती की जाना आवश्यक है यानि मार्क अ से तरमीम की लाईन शुरू की जाकर मार्क ब तक तरमीम की लाईन बनाकर नक्शा बनाना चाहिए था मगर ऐसा नहीं कर दक्षिणी माछ के बीच में उतरी तरफ बढाकर फिर पश्चिमी तरफ लाईन खींचकर नक्शा छोटा कर दिया गया । इसलिए राजस्व कर्मचारियों की उक्त भूल व त्रुटि जो सद्भाविक भूल व लापरवाही से रही है जिसको दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के कब्जा सुद खातेदारी के खेत खसरा नबंर 234 रकबा 37.05 बीघा वाके बेराथलकंला तहसील खींवसर के गलत बने राजस्व नक्शा को दुरूस्त करते हुए उक्त खसरा के पूर्ण रकबा अनुसार उक्त खसरा की दक्षिणी माठ संलग्न नक्शा में दर्शित मार्क अ, ब, के अनुसार लाईन खींचकर तरमीम को दुरूस्त करवाया जाकर राजस्व नक्शा की उपरोक्त अनुसार दुरूस्ती करवाई जावे व अन्य आवश्यक दुरूस्ती करने का तहसीलदार खींवसर को आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो लाभार्थ प्रार्थीया हो प्रदान करावें।

प्रार्थीया का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार खींवसर ने दिनांक 06.10.2021 के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने पेरा संख्या 1 ता 7 में किये गये विवेचन अनुसार प्रार्थीया अपने खेत खसरा नबंर 234 की आकृति असल नक्शा शीट पेमाईश संवत् 2015 के अनुरूप के मुकाबले पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लठा में की गयी आकृति को गलत एवं त्रुटिपूण होना आक्षेप किया गया है और निवेदन किया कि लठा टेस में ख.न. 234 की आकृति को असल सीट के अनुरुप किया जावे। वस्तुतः असल नक्शा सीट से ही मोमी सीट बनती है मोमी सीट से नक्श लठा बनता है नक्शा लठा व मोमी सीट से अनुदेषित किया गया है मोमी सीट के मुकाबले गलत अशुद्व एवं त्रुटिपूर्ण अंकित है जो शुद्व किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी को इस सबंध में कोई आपति नहीं हैं।

अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया एवं राजपेरोकार की बहस समायत कि गई । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया की प्रार्थीया के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नबंर 234 रकबा 37.05 की खातेदारी दर्ज हैखसरा नबर 234 का राजस्व नक्शा ट्रेस किश्तवार असल सीट से मोमी सीट नक्शा बनाते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से नक्शा में तरमीम गलत ढंग से कर दी गई यानि उक्त खसरा नं. 234 के वास्तविक रकबा 37.05 बीघा से कम रकबे का नक्शा बनाते हुए खसरा नं. 234 की दक्षिणी सींव को आधी दूरी में उतरी तरफ बढाते हुए बाद में पश्चिमी तरफ खसरा नबंर 238 की सीध में गलत ढंग से मिला दिया जबकि असल नक्शा सीट में खसरा नबंर 234 की दक्षिणी सींव पूरी सीधी लम्बाई में चलती हुई खसरा नबंर 242 की पूर्वी माठ तक मिलती हुई साफ नजर आ रही हैं जबकि मौके पर कब्जा काश्त भी इसी अनुसार है व इसी अनुसार खसरा नं. 234 का रकबा भी सही व पुरा होता है तरमीम में कम दर्शाते हुए गलत नक्शा बना दिया, इस बात को तहसीलदार खींवसर ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है अतः श्रीमानजी से निवेदन है उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करते हुए प्रार्थना के पेरा संख्या 07 में चाही गई अनुतोश अनुसार सही किया जावें।

राजपेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया अपने खेत खसरा नबंर 234 की आकृति असल नक्शा शीट पेमाईश संवत् 2015 के अनुरूप के मुकाबले पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लठा में की गयी आकृति को गलत एवं त्रुटिपूण होना बताया है और निवेदन किया कि लठा ट्रेस में ख.न. 234 की आकृति को असल सीट के अनुरूप किया जावे। श्रीमानजी से निवेदन है कि वस्तुतः असल नक्शा सीट से ही मोमी सीट बनती है मोमी सीट से नक्श लठा बनता है नक्शा लठा व मोमी सीट से अनुदेषित किया गया है मोमी सीट के मुकाबले गलत अशुद्व एवं त्रुटिपूर्ण अंकित है जो प्रार्थीया का शुद्व किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं हैं।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 एवं पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11.04.2017 के आधार पर मैं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनों से सहमत हूँ तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट को तहसीलदार खींवसर की अभिशंषा पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया के कब्जा सुद खातेदारी के मौजा बैराथल कलां के खेत खसरा नबंर 234 रकबा 37.05 बीघा वाके बेराथलकंला के गलत बने राजस्व नक्शा को दुरूस्त करते हुए उक्त खसरा के पूर्ण रकबा अनुसार उक्त खसरा की दक्षिणी माठ संलग्न नक्शा में दर्शित मार्क अ, ब, के अनुसार लाईन खींचकर तरमीम को दुरूस्त करवाया जाकर राजस्व नक्शा की उपरोक्त अनुसार दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेगें।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाना सुनिश्चित करें।

हनुमाना राम RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)